विविध विषयों पर बजरंग मुनि जी के महत्वपूर्ण विचार

1–आंशिक लोक स्वराज्य

स्वराज्य की परिभाषा यह होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आंतरिक निर्णय करने तथा क्रियान्वित करने की असीम स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय संविधान बनाने में समान सहभागिता होनी चाहिए। लोक स्वराज्य शब्द का अर्थ कुछ भिन्न होता है। लोक स्वराज्य में प्रत्येक इकाई को अपना आंतरिक कानून बनाने तथा क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय संविधान बनाने में सहभागिता होगी। गांधीजी स्वराज जी के पक्षधर थे। जयप्रकाश जी, अन्ना हजारे तथा मैं भी लोक स्वराज्य का पक्षधर हूँ। तानाशाही सबसे अधिक आसान और सबसे अधिक बुरी व्यवस्था है। लोकतंत्र तानाशाही की तुलना में कम बुरा है, किंतु असफल है। क्योंकि लोकतंत्र में अराजकता ही मिलती है सुशासन नहीं, कुशासन भी नहीं। लोक स्वराज्य सबसे अच्छी व्यवस्था है जिसका प्रारंभिक प्रयोग दुनिया में सिर्फ छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज शहर में हुआ है और पूरी तरह सफल रहा है।

आंशिक लोक स्वराज्य के लिए तो विधायिका और कार्यपालिका को बिल्कुल अलग–अलग कर देना ही पर्याप्त है। किंतु पूरे लोक स्वराज्य के लिए तो तंत्र के नियंत्रण से संविधान को मुक्त कराना होगा तथा लोकतंत्र की परिभाषा को 'लोक नियुक्त तंत्र' से बदलकर 'लोक नियंत्रित तंत्र' करनी होगी। अर्थात एक अलग से संविधान सभा होगी। जिसकी सहमति के बिना संविधान में कोई संशोधन नहीं हो सकेगा। लोक स्वराज्य व्यवस्था में संविधान का तंत्र को अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा। तंत्र अपने को शासक नहीं मैनेजर समझेगा। लोक स्वराज्य में एक और ये बदलाव संभव है कि परिवार, गांव, जिला और प्रदेश के अपने–अपने अधिकार होंगे और भारत में संसदीय लोकतंत्र नहीं सहभागी लोकतंत्र होगा। ये सारे बदलाव सिर्फ संवैधानिक तरीके से ही संभव है। इसलिए लोक स्वराज्य की मूल अवधारणा यह है कि संविधान संशोधन के अंतिम अधिकार सिर्फ तंत्र के पास न हो बल्कि संविधान सभा की भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो। मेरे विचार से इन सारी समस्याओं के समाधान की शुरुआत यहां से हो सकती है और हमें इस दिशा में पहल करनी चाहिए।,

2–स्वस्थ वैचारिकी के लिए हिन्दुत्व सहायक

मेरे बचपन के एक मित्र रोशन लाल अग्रवाल जी हैं जो अंबिकापुर में मेरे पड़ोसी रहे हैं। मैं समाजवादी विचारों से प्रभावित था और रोशन लाल जी आर. एस. एस. के कट्टर समर्थक थे। इमरजेंसी के दौरान हम दोनों एक साथ जेल में 18 महीने रहे हैं और जेल की वह मित्रता आज तक कायम है। आज से करीब 25 वर्ष पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। क्योंकि मैं एक पक्का ब्राह्मण था और रोशन लाल जी की आर्थिक स्थिति साधारण थी। उसी कालखंड में मेरे लड़कों ने व्यापार करना शुरू किया और अपना व्यापार बढ़ाते गए। रोशन लाल जी उसी समय कम्युनिस्ट हो गए तथा मैं गांधीवादियों के साथ लोक स्वराज्य का प्रयोग करने लगा। मैने अपने मित्र रोशन लाल जी को समझाया कि तानाशाही की तुलना में लोक स्वराज्य अधिक अच्छा है। मैंने परिवार के मामलों में अपनी तानाशाही छोड़

दी, लेकिन रोशन लाल जी मुझे साम्यवादी तानाशाही के गुण बताते रहे और इस कारण से हम दोनों के बीच पिछले एक डेढ़ वर्ष से वैचारिक भिन्नता बढ़ती गई। उन्होंने अमीरी रेखा के नाम से एक नया अभियान छेड़ दिया जिससे मैं सहमत नहीं था। मैंने श्रम सम्मान वृद्धि का अभियान शुरू किया। धीरे–धीरे मैं नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत तथा हिंदुत्व के विचारधारा से जुड़कर श्रम के साथ तालमेल बिठाने लगा तो रोशन लाल जी लोगों की संपत्ति को किसी तरह लेकर आम लोगों में बांट देने का वामपंथी अभियान जोर–शोर से चलाते रहे।

पिछले कुछ वर्षों में होली के दिन नमस्ते को छोड़कर हम दोनों के बीच संवाद लगभग शून्य था एकाएक मुझे कुछ दिन पहले मेरे मित्र रोशन लाल जी ने यह पोस्ट लिख कर भेजी। मैं उनकी व्यथा को पढ़कर दुखी हुआ, परंतु मैं सोच नहीं पाया कि उन्हें क्या उत्तर देना चाहिए। रोशन लाल जी धीरे–धीरे मेरे परिवार को पूंजीपति मानने लगे जबकि मेरा पारिवारिक पूंजी से कोई संबंध नहीं है। मेरा जो भी संस्थागत खर्च है वह मेरे नाते–रिश्तेदार, मित्रगण तथा परिवार के लोग पूरा कर देते हैं। रोशन लाल जी के विषय में मैं ज्यादा नहीं बता सकता। फिर भी मैं अपने इस विश्वास पर कायम हूँ कि साम्यवाद व्यक्ति को मरते दम तक शांति से जीने नहीं देता, बल्कि अंतिम समय तक भी व्यक्ति के मन में असंतोष की ज्वाला जलाती रहती है। यह तो हिंदुत्व का ही गुण है कि वह वृद्धावस्था में प्रत्येक व्यक्ति को कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का पाठ सिखाती है। रोशन लाल जी से मेरा निवेदन है कि वे पुनः हिंदुत्व की दिशा पर विचार करें। रोशन लाल जी ने मुझे जो पोस्ट भेजी है वह अक्षरशः नीचे दिया है।

———————————————————————————————

समय कितना बलवान होता है इसे तो केवल कोई भुक्तभोगी ही जानता है। मैं सोशल मीडिया में, वीडियो मीडिया में नया नहीं हूँ लेकिन लेकिन अब तो मानो मैं पूरी तरह अनजान और अशक्त बन गया हूँ। मुझे यह देख कर बहुत आश्चर्य होता है कि आज की स्थिति आने से पहले जिस बात को मैं सोच भी नहीं सकता था आज वही बात हो रही है और मेरी इच्छा के विरुद्ध हो रही है। मैं नहीं जानता कि मेरी यह स्थिति पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर हो रही है या यह किसी भविष्य के लिए हो रहे हैं। अपनी बुद्धि पर जोर डालने पर तो मुझे यही लगता है कि यह किसी भारी अनिष्ट का संकेत और किसी पिछले भयानक दुष्कर्म का परिणाम तो हो सकती है लेकिन यह पहले से ही लिखी गई प्रारब्ध तो नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इस शोध से मुझे बाहर निकाल सकता है और प्रकृति तो सर्वज्ञ और शक्तिशाली है जिसके बारे में मनुष्य जाति बहुत ज्यादा नहीं जानती भले ही वह अपने आप को कितनी ही जानकार क्यों नहीं मानती हो।

इस संबंध में मुझे क्या कहना चाहिए और क्या कहना सही होगा इसे मैं नहीं जानता। लेकिन आप क्या जानते हैं इस बारे में आप खुद ही बता पाएंगे और उसी का इंतजार करना चाहिए। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरी मृत्यु के बाद समाज के लोग मुझे किस रूप में देखेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ तो मैं एक खराब और खुदगर्ज व्यक्ति के रूप में तो नहीं माना जाऊँगा। लेकिन मैं यह भी देखता हूँ कि

मेरे से बहुत अधिक उम्र के लोग जो मेरे संपर्क में आ चुके हैं वही लोग मेरे बारे में ठीक से बता सकते हैं। इससे अधिक कुछ भी कहने या विचारने की स्थिति आज मेरी नहीं है और कल किस प्रकार की होगी इसे जानना और समझना भी मेरे बस की बात नहीं।

श्री रोशन लाल जी

3–अपराधियों और आम जन का सीधा टकराव

अतीक अहमद का बेटा और एक अन्य शूटर एनकाउंटर में मारा गया। इस एनकाउंटर को फर्जी बताकर जिस तरह अखिलेश यादव तथा मायावती ने अपराधियों का पक्ष लिया है, उससे योगी आदित्यनाथ और अधिक मजबूत हो गए हैं। अभी भारत में दो विचारधाराओं के बीच सीधा टकराव है। एक विचारधारा के पक्ष में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ खड़े हैं तो दूसरी विचारधारा के पक्ष में अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी आदि विपक्षी दलों का समूह है। इन दोनों विचारधाराओं के बीच सीधा टकराव दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ 'अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश' की योजना पर बहुत तेज गति से दौड़ रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी उतनी ही तेजी से 'भ्रष्टाचार मुक्त भारत' बनाने की ओर अग्रसर है। अमित शाह ने 'मुस्लिम सांप्रदायिकता' को सबक सिखाने की दिशा पकड़ी है। तीनों लोग अपने–अपने दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर किसी भी विपक्षी दल के पास इन तीनों दिशाओं की कोई काट नहीं है।

अपराधियों का समर्थन करके विपक्षी दल सहानुभूति नहीं पा सकता। भ्रष्टाचारियों का समर्थन करके भी विपक्षी दलों को नुकसान उठाना पड़ेगा। मुस्लिम सांप्रदायिकता का भी समर्थन देना विपक्षी दलों के लिए घातक है। जहां सत्तारूढ़ दल सकारात्मक दिशा में सक्रिय है वहीं विपक्षी दल पुरानी घिसी–पिटी राजनैतिक व्यवस्था, जिसमें भ्रष्ट मुसलमान तथा अपराधी तत्व की गठजोड़ से सरकार चलती थी वे पुरानी बातें हो गई है। आम जनता अब विपक्षी दलों की एकता को भी सांप्रदायिक मुसलमान, भ्रष्ट नेता और अपराधी गुंडों का गठजोड़ मानती है। यदि इन सभी पर विपक्षी दल आपातकाल समझकर एकजुट भी हो जाए, तब भी नरेंद्र मोदी के दल को 300 से अधिक सीटें तो मिल ही जाएगी और अगर विपक्षी एकता नहीं बनी तब ये 300 का आंकड़ा 400 को भी पार कर सकता है।

4–लोकतंत्र है या गुंडों की शरणस्थली

अतीक और अशरफ के मारे जाने पर विपक्ष के अनेक नेताओं ने चिंता प्रकट की है। किसी बड़े नेता ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है, किसी ने कहा यह संविधान की हत्या है, किसी ने कहा कानून का जनाजा निकल गया है। हम लोगों ने इस संबंध में विचार किया। मैंने पहले एक कहावत लिखी थी कि ''किसी व्यक्ति ने एक मंदिर बनाया। उस मंदिर में एक स्वनिर्मित भगवान को स्थापित किया और स्वयं उस भगवान का पुजारी बन गया। उस व्यक्ति की दुकानदारी चल निकली और उसने

भगवान का शुक्रिया अदा किया। इसी तरह पंडित नेहरू ने अंग्रेजों से मिलकर एक संसद बनाई जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा गया। उस व्यक्ति ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक किताब लिखी जिसे संविधान कहा गया और भगवान के रूप में स्थापित किया गया। वह स्वयं इस लोकतंत्र के मंदिर में भगवान रूपी संविधान का पुजारी बन गया और उसकी दुकानदारी निर्विघ्नं कई पीढ़ियों तक चलती रही। दुर्भाग्य से भक्तों ने मिलकर उस पुजारी को बदल दिया। अब इस मूर्ति को बनाने वाला भगवान पर अपना कब्जा दिखाता है, और भक्तों द्वारा बनाया गया पुजारी अपना... यही है भारत का लोकतंत्र और यही है भारत का संविधान।''

जैसा लोकतंत्र भारत में चल रहा है वह यदि वास्तव में लोकतंत्र है तो ऐसे लोकतंत्र का जनाजा निकल जाना कोई गलत नहीं है। अतीक, फूलन, मुलायम और लालू सरीखे लोग संसद में बैठकर कानून बनाते हैं और उस कानून को भगवान रूपी संविधान के साथ जोड़कर गुंडों को संरक्षण देते हैं, यह कैसा लोकतंत्र है?... यह कैसा लोकतंत्र है जहां गांजा रखने पर बहुत कठोर दंड और बंदूक पिस्तौल के लिए कम दंड की व्यवस्था है?... यह कैसा लोकतंत्र है जहां सहमति से दहेज लेन–देन पर पुलिस जेल में डाल सकती है लेकिन साधारण मारपीट में पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर सकती? यह बात तो शुरू से ही दिख रही थी कि लोकतंत्र के प्रारंभिक चरण में अपराधियों और नेताओं के बीच एक गुप्त समझौता था, जो बाद में बदल गया और अपराधी ही संसद में जाकर पुजारी बन गए। संसद में जाने वाले बड़े–बड़े नेताओं में से आधे गुंडागर्दी के बल पर नेता बने है। हो सकता है यदि अखिलेश यादव की सरकार बनती तो अतीक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता अतीक तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था। यदि यही भारत का लोकतंत्र है, ऐसे ही अपराधियों का गुलाम संविधान है और ऐसे ही समाज को चूसने वाले कानून है तो इन सब का हत्या होने से हमें कोई दुख नहीं है। हमने लोकतंत्र, संविधान और संसद का निर्माण यह सोचकर किया था कि स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं उद्दंडता पर नियंत्रण होगा, लेकिन यह लोकतंत्र, संविधान, संसद और कानून गुंडे लोगों के हाथों में चले गए। अब तो स्वतंत्रता दूर की बात हो गई उद्दंडता सरकार का अंग बन गयी। जाकर कह दीजिए कपिल सिब्बल से कि हमें ऐसा लोकतंत्र, ऐसा संविधान नहीं चाहिए।

5–विपक्षी एकता में राहुल गांधी सबसे बड़े बाधक

भारतीय राजनीति में पिछले सप्ताह बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। ऐसा देखा जा रहा था कि विपक्षी एकता में राहुल गांधी सबसे बड़े बाधक थे। राहुल गांधी को राजनीति का कोई ज्ञान नहीं था और उन्हें ये भी घमंड था कि वे राजनीति के बहुत बड़े सूत्रधार हैं। जब उन्हें 2 वर्ष की सजा हुई तब भी उन्हें समझ में नहीं आया था। मौका देख उद्धव ठाकरे ने बिल्ली के गले में घंटी बांध दी और सोनिया गांधी को तैयार कर लिया कि राहुल गांधी का तरीका ठीक नहीं है। इसके बाद तो पूरा राजनीतिक वातावरण ही बदल गया। शरद पवार भी सामने आ गए और अडानी की प्रशंसा कर दिए। अजीत पवार भी सामने आ

गए और उन्होंने चुनाव आयोग तथा ईवीएम को सही घोषित कर दिया। ऐसे अवसर का लाभ उठाकर नीतीश कुमार भी मैदान में कूद पड़े और विपक्षी एकता के लिए राहुल गांधी को पीछे चलने के लिए तैयार कर लिया। सोनिया गांधी ने भी राहुल गांधी के साथ–साथ प्रियंका गांधी को भेजना शुरू कर दिया। इस तरह भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। राहुल गांधी इस परिदृश्य में पीछे कर दिए गए और नीतीश कुमार आगे जा रहे हैं। हो सकता है कि अगला चुनाव नीतीश और नरेंद्र मोदी के बीच हो। यदि ऐसा होता है तो एनडीए की सीट घटकर 300 के आसपास आ सकती है और संयुक्त विपक्ष 200 के करीब जा सकता है।

मैं पिछले 10–15 वर्षों से यह लिखता रहा हूँ कि विपक्ष में नरेंद्र मोदी के बाद नीतीश कुमार ही एकमात्र योग्य दिखते हैं। उस समय अरविंद केजरीवाल भी समकक्ष दिख रहे थे जो अब दौड़ से बाहर दिख रहे हैं। राहुल गांधी को मैं पहले ही दौड से बाहर मानता था और अब इन सब घटनाओं से मेरी मान्यता स्थापित हो गई है।

6–लगे छल बल से धर्मांतरण पर प्रभावी रोक

छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 11 लोकसभा सदस्य और 90 विधानसभा में सिर्फ 15 बीजेपी के सदस्य हैं। अन्य 67 कांग्रेस के हैं। एक महीने पहले तक ऐसा लगता था कि कांग्रेस फिर से पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेगी। लेकिन 15 दिनों पहले एक छोटी सी घटना ने पूरे राजनैतिक समीकरण बदल कर रख दिया है। रायपुर के पास बेमेतरा जिला के एक छोटे से गांव में सांप्रदायिक टकराव शुरू हुआ। बीबीसी संवाददाता आलोक पुतुल ने पूरी स्थिति का जिस प्रकार वर्णन किया, उससे कांग्रेस पार्टी के अंदर चिंता व्याप्त हो गई है। बेमेतरा जिले के एक छोटे से गांव में हर एक दो वर्ष में किसी हिंदू लड़की को मुसलमान बना लिया जाता था और कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। मुसलमानों का भी मनोबल बढ़ रहा था। इस बार वे दो लड़कियों को एक साथ भगा कर अपने घर ले गए। हिंदू समाज ने इस पर चिंता व्यक्त की तो मुसलमानों ने संगठित आक्रमण कर दिया। जिससे साहू बिरादरी के एक लड़के की मौत हो गई। हिंदुओं ने कोई सामूहिक प्रतिकार नहीं किया और पूरे छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। बंद में सभी कांग्रेस के लोगों ने भी बढ़–चढ़कर साथ दिया। छत्तीसगढ़ में हिंदू मुसलमान के बीच ऐसा ध्रुवीकरण पहली बार देखने में आया है, हमारे रामानुजगंज शहर में भी आश्चर्यजनक रूप से पूरी बंदी रही।

मामले को हाथ से निकलते देख छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने यह बयान दे दिया कि ''जब बीजेपी वाले अपनी लड़कियों को मुसलमान बनाने से नहीं रोक पा रहे तब यह दूसरे के मामले में क्यों दखल देते हैं?'' मुख्यमंत्री के इस कथन पर बीजेपी वाले तो कुछ नहीं बोल पाए लेकिन अन्य हिंदुओं को बहुत कष्ट हुआ। भारतीय जनता पार्टी भले ही अपने को हिंदुओं का रक्षक कहती है, लेकिन

हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी की तुलना में अलग महत्व रखता है। बेमेतरा की घटना पर जो छत्तीसगढ़ बंद हुआ था, उसमें छत्तीसगढ़ के सभी हिंदुओं का योगदान था सिर्फ भाजपा या विश्व हिंदू परिषद का नहीं। मुख्यमंत्री को इस प्रकार का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने वाली बातों से बचना चाहिए। किसी धर्म के लोग बलपूर्वक या छलपूर्वक अपनी संख्या न बढ़ा सकें इसकी चिंता करना सबका काम है और यह चिंता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी होनी चाहिए।

7–सत्ता से भयभीत अपराधी, व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत

अभी कुछ दिन पहले ही अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई है। मैं देश भर का आकलन करने लगा तो मुझे लगा कि पूरे देश में सौ प्रतिशत हिंदू इस हत्या से खुश है और नब्बे प्रतिशत मुसलमान चुप है। इस घटना में योगी आदित्यनाथ का हाथ है या नहीं यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन भारत का सौ प्रतिशत नागरिक इसका श्रेय योगी आदित्यनाथ को दे रहा है। यदि अभी तत्काल मोदी और योगी के बीच में चुनाव हो जाए तो भारत में योगी जी जीत जाएंगे, भले ही विदेशों में हार जाए। योगी जी की लोकप्रियता का प्रभाव पूरे देश पर पड़ा है। योगी के इन प्रयत्नों से संघ भी बहुत मजबूत हुआ है। योगी के इस प्रयत्न से एनडीए की सीटों की संख्या 400 भी जा सकती है। आज तक ऐसे किसी एनकाउंटर की कल्पना नहीं की गई थी। यह भले ही योगी जी ने ना कराया हो, लेकिन दबे–छुपे मन से योगी जी भी स्वीकार कर रहे हैं और विपक्ष भी। इस घटना के बाद अपराधी मुसलमानों का मनोबल तो पाताल तक गिर गया है, लेकिन अपराधी हिंदुओं का भी मनोबल कम हुआ है। मैं स्वयं इस घटना के सकारात्मक परिणाम का अनुभव कर रहा हूँ। पूरा विपक्ष अतीक और अशरफ की हत्या से किंकर्तव्यविमूढ़ है, इस घटना का विरोध करना उसकी मजबूरी है और समर्थन करना हानिकारक। यदि विपक्ष ने अपराधियों का विरोध शुरू कर दिया तो भारतीय विपक्ष में नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी को छोड़कर बाकी कोई मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेगा। क्योंकि बाकी सब में से शरद पवार के अलावा बाकी लोग की पैतृक पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं इसी तरह आगे बढ़ी है। चाहे मुलायम सिंह यादव थे या लालू यादव और शिबू सोरेन हो अथवा कोई और। अधिकांश ने इसी तरीके से सत्ता पर पकड़ बनायी। यदि मोदी सरकार नहीं होती तो, हो सकता है कि अतीक अहमद का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता। स्पष्ट है कि यही व्यवस्था परिवर्तन, यही युग परिवर्तन का शुरुआत है। विपक्ष ने एकजुट होकर इस घटना को लोकतंत्र की हत्या बताया है।

8–न्यायिकव्यवस्था के समीक्षा की आवश्यकता

कहा जाता है कि ''न्यायपालिका सर्वोच्च है'' मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। यदि न्यायपालिका सर्वोच्च है तब अतीक सरीखे अनेक अपराधियों की लगातार मजबूत होते जाने का दोष किसका माना जाएगा। अतीक के मुकदमे की सुनवाई से 10 न्यायाधीश डर से अपने को अलग कर लिए

थे। जो सुप्रीम कोर्ट छोटे–छोटे मामलों में हस्तक्षेप करता है वहीं सुप्रीमकोर्ट उच्च न्यायालय की इतनी बड़ी घटना के बाद भी चुप रह गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज भी अतीक अहमद के आतंक से आतंकित थे।

जिस राजू पाल की हत्या में प्रत्यक्ष सहभागी होने के बाद भी अतीक और अशरफ को सजा नहीं हो सकी। उसी हत्या में गवाही देने वाले के अपहरण के मुकदमें में अतीक को उम्रकैद की सजा सुनाई जाती है। स्पष्ट है कि यदि मोदी सत्ता में न होकर अखिलेश या कांग्रेस पार्टी सत्ता में होते तो अतीक न्यायालय से निर्दोष सिद्ध हो गया होता। अपहरण जैसे साधारण केस में आजीवन कारावास का दंड देना जज के लिए हिम्मत का काम था।

जो न्यायालय पुलिस वालों को न्याय सहायक नहीं मानता, उस न्याय व्यवस्था में दोष है। न्यायाधीश आमतौर पर पुलिस वालों को अपने कोर्ट में खड़ा करके अपमानित करते हैं। न्यायाधीशों को यदि एक महीने के लिए पुलिस अफसर बना दिया जाए और पुलिस अफसरों को न्यायाधीश बना दिया जाय। तो न्यायपालिका में तो कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। किंतु जो न्यायाधीश पुलिस अफसर बनेंगे वो तो आत्महत्या कर लेंगे। मेरे विचार से न्यायिक प्रक्रिया में दोष है न्यायाधीशों में भी नहीं। यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता कम होती जाएगी और उद्दंडता बढ़ती जाएगी, तब प्रतिष्ठा न्यायालय की घटेगी पुलिस की नहीं। न्यायालय गंभीर अपराधों में 35 वर्ष बाद प्रारंभिक दंड देता है और अभी दशकों अपील चलेगी तो ऐसे न्यायालय को बंद कर देने में जनता का कोई नुकसान नहीं है। अपनी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए न्यायपालिका को अपनी समीक्षा करनी चाहिए। सिर्फ कार्यपालिका को गाली देकर न्यायपालिका की प्रतिष्ठा नहीं बचेगी। मेरी सलाह है कि सर्वोच्च न्यायालय के लोग समाज विज्ञान से जुड़े, विचारकों के माध्यम से इस समस्या का समाधान खोजने की पहल करें। अन्यथा उत्तर प्रदेश सरीखे घटनाएं पूरे देश में होगी और न्यायालय आर्डर–आर्डर चिल्लाता रह जाएगा।

9–उण्डता पर नियंत्रण न्यायपालिका की प्राथमिकता होनी चाहिए

न्यायपालिका गंभीर विषय है। यह बात सिद्ध हो गई है अतीक जैसे अपराधियों का समाज में इस तरह वर्चस्व बढना न्यायिक असफलता का परिणाम है। लेकिन यह प्रश्न खड़ा होता है कि न्यायाधीश गलत है या न्यायपालिका गलत है अथवा न्यायिक प्रक्रिया ही गलत है। इस विषय पर आज हम गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं।

मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं करीब 50 वर्ष पहले एक लड़का मेरे पास आता है और 3000 रूपये मांगता है, और कहता है यदि मैं नहीं दूंगा तो वह दो गवाहों को खड़ा करके मुझे न्यायालय से दंडित करवा देगा। पैसा ना मिलने पर उसने थाने में रिपोर्ट कर दी और थाने द्वारा केस खत्म करने के

बाद उसने न्यायालय में रिपोर्ट कर दी। मैंने जज से बात की तो जज साहब ने कहा कि मैं लाचार हूँ जब गवाह गवाही देने को तैयार हैं तो मुझे सजा करनी ही पड़ेगी। मैं निराश हो पैसा देने को तैयार हो गया, मेरे एक वकील मित्र ने मुझे यह सलाह दी कि ऐसा करना आत्मघाती होगा, क्योंकि रामानुजगंज में फिर तो दादागिरी बढ़ जाएगी और आप का मिशन फेल हो जाएगा। वकील साहब इस बात के लिए तैयार हो गए कि इस केस में कभी गवाही होने ही नहीं देंगे। सचमुच लगभग 40 वर्षों तक वह मुकदमा यहां वहां घूमता रहा उस केस में गवाही नहीं होने दी गई और40 वर्षों के बाद जब रिपोर्ट करने वाला मर गया तब वह केस खुला और हम सब लोग 40 वर्ष बाद इस मामले से मुक्त हो पाए।

दूसरी घटना है कि बिहार प्रांत में मेरा कुछ विवाद हो जाता है और बिहार की पुलिस ने मुझे इस आधार पर गिरफ्तार कर लिया कि मेरे गोदाम में 1 क्विंटल चावल मिला है जो गंभीर अपराध है। इस मामले में मैं 27 दिन जेल में रहा 10 वर्ष मुकदमा लड़ा। मैंने यह प्रमाणित किया कि यह चावल किसान का था तब 10 साल बाद केस खत्म हुआ।

तीसरी घटना आपको बता दें की करीब 25 वर्ष पूर्व हमारे एक राजनैतिक प्रतिद्वंदी ने मुझे बीजेपी से कांग्रेस का समर्थन करने के लिए दबाव डाला मैं नहीं तैयार हुआ तो मुझे नक्सलवादी घोषित कर पूरे शहर को घेर दिया गया। जमीने जप्त कर गोली मारने की तैयारी हो गई, इस प्रकार पूरे शहर पर अत्याचार हुआ सिर्फ इस बात के लिए कि मैं कांग्रेस में जाने को तैयार नहीं था। मैने उच्च न्यायालय में रिट दायर किया और उच्च न्यायालय ने मेरी सुरक्षा की। कलेक्टर ने वहां जाकर कहा कि यह नक्सलवादी हैं कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई कानून नहीं टूटता तब तक, चाहे कोई भी हो आप कुछ नहीं कर सकते। सच बात है कि न्यायालय ने उस समय मेरी सुरक्षा की।

यह तीन घटनाएं बताती हैं कि गलती कहां है। मेरे विचार से जजों की गलती नहीं है न्यायपालिका गलत नहीं है वास्तव में न्यायिक प्रक्रिया गलत है। जो न्यायिक प्रक्रिया भारत ने पश्चिम से उधार ली, वह प्रक्रिया भारत के लिए बिल्कुल ही अनुपयुक्त है। इसलिए हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए।

लोकतंत्र में लोक और तंत्र अलग–अलग होते हैं। लोक सर्वव्यक्ति समूह होता है और तन्त्र कुछ नियुक्त व्यक्तियों का समूह। प्रत्येक व्यक्ति की 'स्वतंत्रता की सुरक्षा' और 'उद्दंडता पर नियंत्रण' तंत्र का एक मात्र कार्य होता है।

विगत 20–25 वर्षों से तंत्र पर न्यायपालिका ने एकाधिकार कर लिया है। न्यायपालिका ही संविधान की भी समीक्षा करती है और कानून का भी परीक्षण करती है। न्यायपालिका अनावश्यक जिम्मेदारियां लेकर अपने को परेशान और व्यस्त दिखाती है जबकि यह काम उसका है ही नहीं। उद्दंड व्यक्तियों पर नियंत्रण तंत्र का पहला काम है, लेकिन इसी कार्य को सबसे पीछे रखा गया है। 'समलैंगिक

विवाह सही है या नहीं' इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का हफ्तों तक लगातार विचार करना उसका काम ही नहीं है। यह सब तय करना समाज का काम है तंत्र का नहीं। अगर वर्तमान समय में समाज का ढांचा नहीं है तब विवाह की प्रणाली तय करना विधायिका का काम है न्यायपालिका का नहीं। अतीक जैसे हजारों अपराधियों के मुकदमे सुनने और निर्णय करने की न्यायपालिका को जल्दी नहीं है, लेकिन चुनाव आयुक्त चुनने की प्रणाली क्या हो इस मामले में जबरदस्ती टांग फंसाने के लिए न्यायपालिका आ जाती है।

मेरे विचार से इस मामले में सबसे पहले पंडित नेहरू ने गलती की। उन्होंने न्यायपालिका की भूमिका को समाप्त करके कार्यपालिका को सबसे ऊपर स्थापित कर दिया। बाद में करीब 25 वर्ष पूर्व न्यायपालिका ने कार्यपालिका को धक्का देकर स्वयं को सर्वोच्च घोषित कर दिया। पंडित नेहरू ने जो किया वह भी गलत था और जस्टिस पी एन भगवती ने जो किया वह भी गलत है। नेहरू की गलती के कारण कार्यपालिका और विधायिका में असीमित भ्रष्टाचार हुआ और जस्टिस पीएन भगवती के कारण न्यायपालिका में भी उसी तरह भ्रष्टाचार और दादागिरी शुरु हो गई। उद्दंड व्यक्तियों की उद्दंडता पर नियंत्रण का कार्य छोड़कर बाकी सारा काम न्यायपालिका लगातार कर रही है जो उसका काम नहीं है।

मेरे विचार से कुछ महीनों के लिए न्यायपालिका को सिर्फ 'व्यक्ति की उद्दंडता पर नियंत्रक' की तरह सीमित कर देना चाहिए। संभव है कि अगले कुछ वर्षों में न्यायपालिका की गाड़ी फिर से पटरी पर चलने लग जाएगी। न्यायाधीशों के पावर और हस्तक्षेप की सीमा तो बननी चाहिए।

10–कृत्रिम उर्जा मूल्य वृद्धि की आवश्यकता

भारत में कुल ग्यारह समस्याएं हैं, जो स्वतंत्रता के बाद लगातार बढ़ रहे है। इन समस्याओं में पांच प्रकार के अपराध (1–चोरी,डकैती,लूट 2–बलात्कार 3–मिलावट और कमतौल 4–जालसाजी और धोखा 5–हिंसा और आतंक) के साथ चरित्रपतन, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, जातीय कटुता, आर्थिक असमानता तथा श्रम शोषण शामिल हैं।

किसी भी राजनैतिक दल ने कभी किसी एक समस्या का समाधान खोजा ही नहीं। मोदी के पहले की शासन व्यवस्था में ये सभी समस्याएं लगातार बढ़ती रही है। मैंने इस संबंध में लंबा रिसर्च किया और पाया कि राजनैतिक दल सभी समस्याओं को लगातार बढ़ाते रहें हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद पांच प्रकार के समस्या अपराधों पर योगी का बुल्डोजर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में नरेंद्र मोदी निरंतर प्रयत्नशील है, साप्रदायिकता के मामलों में अमित शाह संघर्ष कर रहे हैं। इन तीनों समस्याओं में आंशिक रूप से कमी दिखाई दे रही है। यद्यपि सभी विपक्षी दल इन तीनों समस्याओं के समर्थन में डट कर खड़े हैं। लेकिन स्वतंत्रता से लेकर आज तक पहली बार इन तीनों समस्याओं पर अलग–अलग प्रयोग होरहा है। मेरा इन सभी प्रयोगों को पूरा समर्थन है भले ही यह प्रयत्न संविधान सम्मत न हो और कहीं–कहीं कानून भी तोड़ते हो। लेकिन दिशा बिल्कुल ठीक है।

शेष तीन समस्याएं पर अभी सरकार समाधान का कोई प्रयत्न नहीं कर रही है। जातीय कटुता भी बढ़ रही है, आर्थिक असमानता भी बढ़ रही है तथा श्रम शोषण भी चरम पर है। लेकिन विरोधी दलों के पास भी इन तीनों समस्याओं का कोई समाधान नहीं दिखता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब तक कोई राजनैतिक दल इन सभी ग्यारह समस्याओं के समाधान पर संवैधानिक विकल्प प्रस्तुत न कर सके, तब तक हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एकजुट होकर नरेंद्र मोदी सरकार का समर्थन करें। हम समस्याओं के समाधान में लगातार मदद करते रहे तथा शेष तीन समस्याओं के समाधान का उचित मार्ग भी सरकार को बताते रहें। आइए हम आप मिलकर आंख बंद करके विपक्षी दलों का विरोध करें। क्योंकि इन विपक्षी दलों ने अपने राजनैतिक सत्ता के लिए ग्यारह समस्याओं को लगातार बढ़ाते रहने का अपराध किया है।

भारत की प्रमुख ग्यारह समस्याओं में पांच समस्याएं वास्तविक हैं और छः कृत्रिम। पांच वास्तविक समस्याओं का समाधान योगी जी सफलतापूर्वक कर रहे हैं। छः समस्याएं राजनैतिक दलों द्वारा पैदा की गई है। उनमें से दो का समाधान मोदी जी और एक का अमित शाह कर रहे हैं। शेष तीन समस्याएं जातिवाद, आर्थिक असमानता और श्रम शोषण अभी भी बढ़ती जा रही है। जातिवाद के समाधान के लिए कल हमने चर्चा की थी कि वर्ण और जाति जन्म से न होकर कर्म के आधार पर माना जाए। आज हम आर्थिक दोनों समस्याओं के समाधान की चर्चा कर रहे हैं, आर्थिक असमानता और श्रम शोषण लगातार बढ़ रही है। पूरी दुनिया में दोनों समस्याए लगातार बढ़ा रही है, लेकिन भारत भी इनका समाधान नहीं खोज पा रहा है। दोनों समस्याओं का सिर्फ एक समाधान है, डीजल, पेट्रोल, बिजली सहित कृत्रिम उर्जा के छः साधनों की भारी मूल्य वृद्धि कर दी जाए और सब प्रकार के टैक्स हटा दिया जाय। तत्काल ही सारी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन इन समस्याओं के नाम पर दुकानदारी करने वालों की रोजी–रोटी भी चली जाएगी। दुनिया भर के साम्यवादी यह चाहते हैं कि वर्ग विद्वेष बढ़ता रहे। वर्ग विद्वेष के लिए सबसे अच्छा माध्यम है श्रम बेचने वाले और श्रम खरीदने वाले के बीच टकराव तथा गरीब अमीर के बीच बढ़ती दूरी। भारत का भी हर कम्युनिस्ट पूरी ईमानदारी से कोशिश करता है कि श्रम की मांग न बढ़े और गरीबी कम न हो। श्रम–मूल्य वृद्धि यदि सरकार करती है तो उससे श्रम शोषण होता है, लेकिन हर कम्युनिस्ट सरकार से मांग करता है कि सरकार श्रम का मूल्य बढ़ा दे और कृत्रिम उर्जा का घटा दे। इसी तरह अमीरी रेखा के नाम से भी हर कम्युनिस्ट वर्ग विद्वेष बढ़ाता है। यदि कृत्रिम उर्जा की भारी मूल्य वृद्धि हो जाए तो श्रम का मूल्य अपने आप बढ़ जाएगा तथा आर्थिक विषमता भी बहुत कम हो जाएगी। लेकिन इसके साथ–साथ अमीरी–गरीबी रेखा और श्रममूल्य वृद्धि के नाम से दुकानदारी करने वाले अनेक नेताओं की दुकानदारी बंद हो जाएगी। श्रम शोषण बंद होना ही चाहिए साथ ही आर्थिक विषमता भी कम होनी चाहिए, दुनिया में इसकी शुरुआत भारत से होनी चाहिए। इसके लिए उचित होगा कि हम सरकार से कृत्रिम ऊर्जा मूल्य वृद्धि की मजबूती से मांग करें।

11–जातिवाद का इलाज कैसे हो?

भारत की संपूर्ण राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था पर राजनेताओं बुद्धिजीवियों तथा पूंजीपतियों का ही एकाधिकार है, गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी की भूमिका लगभग शून्य है। वर्तमान सरकार अच्छी तरह जानती है कि जातिवाद, आर्थिक असमानता तथा श्रम शोषण पूरी तरह गलत कार्य है। लेकिन वर्तमान सरकार सब कुछ समझते हुए भी इन तीनों के साथ समझौता करने को मजबूर है। क्योंकि विपक्ष ने इन तीनों को अपना हथियार बना रखा है। जातिवाद समाज व्यवस्था की एक कैंसर सरीखी बीमारी है, स्वतंत्रता के बाद जातिवाद को एक हथियार के रूप में उपयोग किया गया। आज भी सभी राजनैतिक दल जातीय टकराव को बढ़ाकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ लोग तो जातीय जनगणना को महत्वपूर्ण बता कर बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि वर्ण व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर होना चाहिए। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का नाम बदलकर मार्गदर्शक, रक्षक, पालक, सेवक कर देना चाहिए। इन सब का निर्धारण भी किसी परीक्षा पास करने के बाद होना चाहिए। विधायिका और न्यायपालिका के सभी पद सिर्फ मार्गदर्शक तक सिमित कर दें। कार्यपालिका से जुड़े सभी पद रक्षकों तक सीमित कर दें। सभी प्रकार का व्यापार पालक परीक्षा पास करने के बाद ही दिया जाए। जो व्यक्ति तीनों परीक्षाओं को पास न कर सके उसे श्रमजीवी मान लिया जाए। जातिय संगठन भी इसी प्रकार से बने कि वकीलों का अलग, डॉक्टरों का अलग, खेती करने वालों का अलग। जन्म के आधार पर न तो वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए न ही जाति व्यवस्था। मैं मानता हूं कि भारत के वर्तमान राजनैतिक स्थिति में अभी इस तरह की पहल बहुत कठिन है। किंतु हम आप सब व्यक्तिगत स्तर पर इस प्रकार के विचार को आगे बढ़ा सकते हैं। वर्तमान में जो ब्राम्हण, क्षत्रिय या जातीय इन सम्मेलन से हमें बचना चाहिए। स्वामी दयानंद, गांधी, श्रीराम शर्मा सरीखे महापुरुष पूरी ईमानदारी से यह प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन अंबेडकर ने इन सब प्रयत्नों को पूरी तरह असफल कर दिया। अन्य राजनेताओं को भी जातिवाद बढ़ाने में लाभ दिखा और वे भी अंबेडकर के साथ हो गए। लेकिन अब इस संबंध में नए तरीके से सोचने की जरूरत है।

मैं जातिवाद के विरुद्ध हूँ मैं वर्तमान वर्ण व्यवस्था के भी विरुद्ध हूं मेरे विचार से वर्ण और जाति कर्म के अनुसार होनी चाहिए जन्म के अनुसार नहीं। जातिवाद ने हमारे समाज का बहुत नुकसान किया है वर्तमान स्थिति में तो जाति और वर्ण के नाम पर अलग–अलग संगठन भी बनने लगे हैं, सभी संगठनों ने किसी एक महापुरुष को अपने आगे खड़ा करके और उस महापुरुष के नाम पर अपना समूह बनाना शुरू कर दिया है, किसी ने अग्रसेन महाराज के नाम से, तो किसी ने परशुराम के नाम से, किसी और ने किसी और नाम से अलग–अलग संगठन बन लिए और लगातार जातिवाद को मजबूत कर रहे हैं। इन संगठनों के पीछे किसी राजनेता का हाथ जरूर होता है चाहे वह नेता सत्तारूढ़ दल का हो या विपक्ष का नेता हो, क्योंकि जब एक जातीय संगठन बनता है तो उस संगठन में एक व्यक्ति टिकट मांगने वालों की तैयारी करते रहता है, यह राजनीतिक षड्यंत्र पूरी तरह समाज को खोखला कर रहा है।

राजनेता कभी भी इस बुराई को दूर नहीं होने देंगे इसके लिए तो हम आप सब को ही गंभीरता से सोचना होगा मेरे विचार से स्वामी दयानंद, गांधी, श्रीराम शर्मा ने इस संबंध में जो पहल की उस पहल पर हम दोबारा विचार करें। जातिवादी बुराई से लाभ उठाने वाले नेताओं पर हमें संदेह व्यक्त करना चाहिए।

12–सत्यपाल मलिक चौधरी चरण सिंह के चरण–चिन्हों पर

समाजवादी कभी अनुशासित नहीं रह सकते, समाजवादी महत्वाकांक्षी भी होते हैं। राम मनोहर लोहिया, जार्ज फर्नांडीस, मुलायम सिंह सहित सभी समाजवादियों का यही चरित्र रहा है। लेकिन सतपाल मलिक इन सब से बहुत आगे निकल गए। राजनैतिक आधार पर विवाह और तलाक को इन्होंने साधारण घटना मान लिया। अपने राजनैतिक जीवन में ये अनेक घरों का स्वाद चख चुके हैं और आज भी जहां है वहां तलाक देकर दूसरा घर तलाश रहे हैं। दिन रात प्रधानमंत्री बनने का ही सपना देखते रहते हैं इसके लिए किसी भी प्रकार का झूठ और तिकड़म का सहारा लेते हैं।

भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले ही सतपाल जी से सावधान थी। इसलिए उन्हें कश्मीर का गवर्नर बना करके भेजा गया और उन्हीं के कार्यकाल में धारा 370 को समाप्त किया गया। इसके बाद सतपाल जी तिकड़म करने लगे और बीजेपी को भी उनकी जरूरत नहीं रह गयी थी। अब सभी विपक्षी दल अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं, कोई भी विपक्षी नेता प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, नीतीश कुमार ने भी यह घोषणा कर दी। इसलिए विपक्षी दलों को बलि चढ़ाने के लिए एक मूर्ख बकरे की जरूरत है। सतपाल मलिक इसके लिए बहुत उपयुक्त है। विपक्षी दल बलि चढ़ाने के पहले बकरे की भरपूर प्रशंसा कर रहे हैं। आगे या तो राष्ट्रपति चुनाव में सतपाल जी की बलि दी जाएगी या प्रधानमंत्री के चुनाव में भी ऐसा होना संभव है।

कांग्रेस पार्टी को पहले जब ऐसे बकरे की जरूरत पड़ी थी तब चौधरी चरण सिंह को इसी तरीके से तैयार किया था। सतपाल मलिक चरण सिंह के ही चरण चिन्हों पर चलने वाले हैं, ये भी चरण सिंह के सरीखे ही जाट–किसान एकजुटता का नारा लगा रहे हैं। चरण सिंह में राजनैतिक महत्वाकांक्षी नासमझी की हद थी, लेकिन ईमानदारी के लिए वे प्रसिद्ध थे। सतपाल मलिक में तो वह गुण भी दिखाई नहीं देता। सतपाल मलिक के आगे आ जाने से विपक्ष को भी बहुत सुविधा होगी और भारतीय जनता पार्टी को भी आराम हो जाएगा। मेरे विचार से राजनीति ठीक दिशा में जा रही है।

13–अरविंद केजरीवाल की राजनैतिक नाटकबाजी

मुझे जब ज्ञात हुआ कि मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास की मरम्मत के लिए पिछले दो वर्षों में 45 करोड़ खर्च किया है, तो मुझे यह बात अविश्वसनीय लगी। बाद में अरविंद जी के साथियों ने जो तर्क दिया वह तो और भी अधिक मूर्खतापूर्ण एवं संदेहास्पद था। सांसद

संजय सिंह ने बताया कि खर्च पैंतालीस न होकर तीस करोड़ है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री निवास से कई गुना बड़ा तो राज्यपाल निवास है। यदि अरविंद का मुख्यमंत्री निवास का खर्च खटकता है तो राज्यपाल भवन से मुख्यमंत्री निवास की अदला बदली की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दस लाख का सूट पहनते हैं और फिर वही रटे आरोप दोहराए गए। खर्च पैंतालीस करोड़ न होकर तीस करोड़ हुआ और उस भवन की मरम्मत पर हुआ, जहां शीला दीक्षित वर्षों तक रह चुकी है, तो तर्कदाता ने सिर्फ अपनी मूर्खता का ही परिचय दिया है।

अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ सरीखे लोगों के विषय में इतनी नीचे स्तर की पोल खोलना बहुत आश्चर्यजनक घटना है। भारत की जनता का अरविंद केजरीवाल से पच्चीस प्रतिशत तो मोह उसी समय भंग हो गया था जब उन्होंने अन्ना जैसे संत पुरुष को धोखा देकर राजनीति शुरू कर दी। दूसरा झटका तब लगा जब अरविंद के भगत सिंह (मनीष सिसोदिया) करोड़ों के भ्रष्टाचार में जेल चले गए। ऐसा पता चलताहै कि मनीष सिसोदिया ने जो भी काम कराया, वह अरविंद की ही करतूत थी, लेकिन मुख्यमंत्री निवास के मरम्मत पर 30 से 45 करोड़ तक के खर्च की जानकारी से अरविंद एक प्रकार से निरुत्तर हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने जो किया या राज्यपाल का भवन कई गुना बड़ा है या उत्तर बचकाना है। राज्यपाल का भवन कई गुना बड़ा होते हुए भी उसकी मरम्मत में पिछले आठ वर्षों में कितना खर्च हुआ यह जानना महत्वपूर्ण है। प्रश्न उठता है कि क्या किसी राज्यपाल ने भी इस तरह बेदर्दी से भवन की मरम्मत करायी। अगर राज्यपाल भवन अरविंद जी को इतना ही पसंद है तो क्या अरविंद राज्यपाल के रूप में स्वयं को बदलने के लिए सहमत हैं। प्रश्न अनेक है और इसका उत्तर तो अरविंद को ही देना है। वैसे अब भवन मरम्मत की पोल खोलना अरविंद के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। मुझे दुख है कि मैंने ऐसे नाटकबाज की वर्षों तक प्रशंसा और मदद की और मुझे खुशी है कि मैं अरविंद केजरीवाल से अन्य लोगों की तुलना में जल्दी सतर्क हो गया। अब तो विपक्ष की राजनीति से अरविंद भी बाहर दिखने लगे हैं।

अरविंद केजरीवाल के एक शिष्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगाए। लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि वास्तव में अरविंद केजरीवाल के मकान पर पैंतालीस करोड़ खर्च हुआ है या नहीं। संजय सिंह ने भी इसी तरह की बात कही। मुझे यह पता नहीं चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल सामने आने में हिचकिचा क्यों रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद आ करके बता दें कि वास्तव में यह पैंतालीस करोड़ खर्च हुआ है कि नहीं? कुछ लोग इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं कि अस्सी हजार का कालीन खरीदा गया और अस्सी लाख का लिखा गया। इस प्रकार की अफवाहें उड़ती रहेंगी जब तक अरविंद केजरीवाल सामने आ कर के साफ नहीं कर देते। मैं फिर निवेदन करता हूँ कि अरविंद केजरीवाल सच्चाई को सामने प्रस्तुत करें। मेरे विचार से अरविंद केजरीवाल को अब यह कहना चाहिए कि मैंने मकान में कोई खर्च नहीं कराया है पीडब्ल्यूडी ने खर्च किया है और यदि आपको ऐसा लगता है कि यह खर्च अनावश्यक हुआ है तो मैं इस मकान को छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस तरह चोर सरीखे छुप करके बैठना अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत

घातक होगा।

14–आनंद मोहन और अतीक दोनों अलग तरह के अपराधी

बिहार के प्रसिद्ध दबंग नेता आनंद मोहन की समय पूर्व जेल से रिहाई की व्यापक आलोचना हो रही है, लेकिन मीडिया में अतीक अहमद की तुलना में आनंद मोहन को बहुत कम जगह मिल रही है। मैंने भी समीक्षा की तो पाया कि अतीक अहमद और आनंद मोहन के बीच जमीन आसमान का फर्क है। अतीक एक गुंडा, हत्यारा तथा स्वार्थी लुटेरा था जबकि आनंद मोहन एक दादा टाईप का और हिंसक व्यक्ति था। अतीक ने जीवन भर अपराध ही अपराध किए जबकि आनंद मोहन ने नहीं किये। अतीक ने लूटपाट में हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं किया बल्कि उसने मुसलमानों को अधिक मारा जबकि आनंद मोहन ने सवर्ण, पिछड़ों के बीच भेद किया। आनंद मोहन कोई अपराधी नहीं था, आनंद मोहन आरक्षण के विरुद्ध हिंसक टकराव तक सीमित था। आनंद मोहन जिस घटना के लिए जेल में था उस समय आरक्षण आंदोलन चरम पर था। एक तरफ राजपूत, ब्राह्मण आरक्षण विरोध में सक्रिय थे तो दूसरी तरफ यादव तथा अन्य पिछड़े, पिछड़ों का नेतृत्व लालू यादव कर रहे थे तो सवर्णों का आनंद मोहन। ऐसी स्थिति में आनंद मोहन गुट के एक नेता छोटन शुक्ला की हत्या हो जाती है और दूसरे दिन ही उसकी लाश लेकर जुलूस निकाला जाता है। इसी बीच लाल बत्ती लगी एक गाड़ी आती है जिसको कोई सरकारी गाड़ी मानकर उसमे सवार की हत्या कर दी जाती है, बाद में पता चला कि वह कलेक्टर थे। इस अपराध के लिए आनंद मोहन को बीस वर्ष की सजा होती है। उक्त दंड अधिक मानकर नीतीश कुमार ने सोलह वर्ष में ही आनंद मोहन को माफ कर दिया। जिस लालू प्रसाद ने आनंद मोहन को फांसी का आदेश कराया था वहीं लालू माफी मांगने के बाद आनंद मोहन के पक्ष में खड़े हो गए।

इस पूरी घटना में वास्तविक अपराध तो लालू प्रसाद का है नीतीश कुमार का नहीं। लालू ने आजीवन कारावास की जगह फांसी की सजा दिलवाई और लालू ने ही माफी मांगने के बाद सजा माफ करवाई। नीतीश की इस मामले में कोई गलती नहीं है तथा आनंद मोहन की तुलना अतीक से नहीं हो सकती।

विमर्श:

श्रीकांत जी सासाराम के रहने वाले हैं और वर्तमान में ऋषिकेश में रहते हैं। वे एक बहुत अच्छे पत्रकार माने जाते है। गोविंदाचार्य जी के साथ भी उनका निकट का संपर्क है। वे प्रतिदिन रात 8 बजे जूम पर प्रसारित होने वाली आधे घंटे की मेरी जीवनी पर समीक्षा और प्रश्नोत्तर करते हैं। 28–29 अप्रैल को 2 दिनों में टूटती परिवार व्यवस्था कारण और निवारण विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। आज उन्होंने इसी विषय पर एक प्रसिद्ध विद्वान राम चौबे जी का एक लेख भेजा है। जिसमें चौबे जी ने यह लिखा है–

जितनी तेजी से हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं बदल रही है, उतनी ही तेजी से संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार में बदल रहे हैं। जब किसी भी चीज के टूटने का क्रम शुरू होता है, तब वह अपने अंतिम समय तक टूटती रहती है, फिर उसका कितना भी बचाव हो उसकी दरारें गहराती ही जाती है। जिस प्रकार कांच के टुकड़ों को कितना भी जोड़ो दरारें साफ नजर आती हैं। परिवार इंसानों से ही बनते हैं और आज इंसान अपनी रोजी–रोटी के लिए यहां–वहां भटक रहा है। ऐसे में अगर किसी ने एक बार अपने घर परिवार से कदम बाहर निकाले तो समझो, यह कदम शायद ही अगले 30–40 साल तक वापस अपने घर में लौटेगें। फिर इतने समय में बच्चे दादा–दादी, ताऊ–ताई, चाचा–चाची, बुआ या नाना–नानी, मौसी या मामा के प्यार को बेगाने माहौल में परायों के बीच ढुढ़ते हुए इतने बदल जाते हैं कि वह अपने संस्कारों को अपनाने से भी डरते हैं। दो इंसानों की सोच एक नहीं हो सकती। इस सोच को एक करने के लिए जिस माध्यम की सबसे बड़ी भूमिका होती है वहां है संयुक्त परिवार, पति रूठे तो भाभी ने मनाया, पत्नी रूठे तो ननंद में प्यार से समझा दिया। ज्यादा हुआ तो सभी ने मिल बैठकर बीच का रास्ता निकाल दिया और बच गया वह छोटा सा घरौंदा जिसको अभी जीवन के अनगिनत पहलुओं से रूबरू होना है। अब इसे संयुक्त परिवार का डर कहो या प्यार, कि नए–नवेले रिश्ते टूटने की बजाय और मजबूत हो जाते हैं। बस यही बात आज के एकल परिवारों में नहीं हो सकती है, जहां पति–पत्नी में जरा–सा भी बात पर मनमुटाव क्या हुआ, वही इस जरा–सी बात को पहाड़ बनाने के लिए इतने हमदर्द मिल जाते हैं कि दोनों को पति–पत्नी के रूप में जीवन बिताना नरक जैसा लगने लगता है। रोजगार की तलाश में दूसरी जगह पर एक छोटा सा घर या बड़ा सा मकान तो बनाया जा सकता है और उसको पैसे की ताकत के बल पर बाह्य सुख–सुविधाओं की हर वस्तु से सुसज्जित भी किया जा सकता है, लेकिन उसको अपने परिवार की खुशबू से नहीं महकाया जा सकता। साथ ही उसमें बचपन के खट्टे–मीठे यादगार लम्हों को महक भी नहीं होती। अगर संयुक्त परिवारों में नहीं रहना मजबूरी है, तो हम अपने एकल परिवारों में अपने बच्चों के लिए छोटा सा परिवार तो बना कर रख ही सकते हैं, जहां दादा–दादी, नाना–नानी के प्यार की छांव में खेलते–कुदते और संस्कारों को सीखते हुए बड़े हो, संयुक्त परिवार तो टूटने के कगार पर है ही पर हम अपनी कोशिशों से एकल परिवारों में संयुक्त परिवारों की खुशबू तो महका सकते हैं।

राम चौबे

समीक्षा– किसी भी समस्या के समाधान के दो मार्ग होते हैं एक होता है दवा और दूसरा होता है टॉनिक। यदि इन दोनों का संतुलन न हो तो बीमारी ठीक होना कठिन हो जाता है। आपने परिवार व्यवस्था के समाधान के लिए कुछ अच्छे सुझाव दिए लेकिन मैं समझता हूँ कि परिवार व्यवस्था को सरकारी कानूनों की बीमारी लग गई है। स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय समाज व्यवस्था को छोड़कर विदेशों की आंख बंद करके नकल की। उन्होंने भारत में व्यक्तिगत संपत्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को असीमित मान्यता दे दी। जबकि दोनों स्वतंत्रताओं को संयुक्त परिवार के आधार पर संयुक्त होना चाहिए था। हमारे संविधान निर्माताओं की गलतियों के कारण व्यक्ति के स्वभाव में स्वार्थ और

उद्दंडता की वृत्ति विकसित होती गयी हैं। इस स्वार्थ और उद्दंडता के विकास के कारण ही परिवारों में टूटन हुई। इस समस्या के समाधान के लिए हमें संवैधानिक बदलाव की दिशा में भी सोचना पड़ेगा, जिधर राम चौबे जी ने नजर नहीं दौड़ाई। मैं चाहता हूँ कि दवा और टानिक का संतुलन एक साथ होना चाहिए।

अभ्युदय द्विवेदी जी जीवन परिचय

अभ्युदय द्विवेदी रीवा मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिवक्ता है। आप सिविल कोर्ट से लेकर सेशन तक एक सफल अधिवक्ता की भूमिका में रहे। आप ने 2005में वकालत शुरू की थी। कुछ वर्षों में ही आपको न्यायपालिका से यह अनुभव मिला कि न्यायालय न्याय नहीं कर पाते। न्यायालय तो कानून के अनुसार ही निर्णय करते हैं जिनमें अधिकांश अपराधी छूट जाते हैं। आपका जन्म 3जनवरी 1969को रीवा मध्य प्रदेश के ब्राह्मण कुल में हुआ। आप बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और बताया जाता है कि जन्म के समय और असामान्य रूप से आपके पैर पहले निकले थे। आपका परिवार बहुत धार्मिक रहा जिसका प्रभाव आप पर जन्म से ही पड़ा। लेकिन उच्च शिक्षा के कारण आपमे धार्मिकता के साथ–साथ तर्कशक्ति भी बढ़ती चली गयी। आपने समाजशास्त्र से एम. ए.किया था इसलिए आपकी समाज व्यवस्था के साथ भी जुड़ने में भी गहरी रूचि रही। आपने प्रारंभ में भोपाल में कुछ वर्षों तक सरकारी नौकरी भी की लेकिन धार्मिक और सामाजिक दिशा में अभिरुचि होने के कारण आपने सरकारी नौकरी छोड़ दी। वकालत के साथ–साथ आप अन्य बुद्धिजीवियों के साथ विचार मंथन भी करते थे। आपका विवाह आकांक्षा द्विवेदी के साथ रीवा के एक बहुत अच्छे कुल में हुआ। आपके ससुर रीवा के ही दुर्गेश कुमार दुबे जी थे जो स्वयं मीसाबंदी रहे। दुर्गेश कुमार दुबे जी के पिता जी सुदर्शन प्रसाद दुबे जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इस प्रकार अभ्युदय द्विवेदी जी का सारा परिवार धार्मिक तथा सामाजिक गुणों से भरपूर रहा। मेरी अभ्युदय द्विवेदी जी से पहली भेंट रीवा के एक सामाजिक सम्मेलन में हुई जो अभ्युदय जी के ससुर दुर्गेश कुमार दुबे जी ने आयोजित किया था। वही पर मेरी अभ्युदय जी से सामान्य चर्चा हुयी। उसके कुछ वर्ष बाद जब मैं दोबारा रीवा गया तब अभ्युदय जी से मेरा काफी तर्क–वितर्क हुआ। हम दोनों एक दूसरे से अच्छे परिचित और प्रभावित हुए। अभ्युदय जी का प्रारंभिक जीवन संघ के साथ जुड़कर लंबे समय तक चला। बाद में वे अपने करीबी रिश्तेदार मध्यप्रदेश विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी जी के साथ नजदीकी संबंध बने। वहां अभ्युदय जी को अनुभव हुआ कि राजनीति वास्तव में किसी समस्या का समाधान नहीं है बल्कि राजनेताओं के तिकड़म का खेल है। वहां से भी अभ्युदय जी निराश होते हैं और न्यायपालिका से भी कोई ज्यादा उम्मीद नहीं दिखती।

ऐसे ही निराशा के वातावरण में फिर मेरी अभ्युदय जी से मुलाकात रीवा में होती हैं जहां 9अगस्त 2010से 11अगस्त 2010तक के 3दिन के कार्यक्रम में मैं भी एक वक्ता के रूप में आमंत्रित था तथा राजीव दीक्षित भी आमंत्रित थे। वहां अभ्युदय जी से मेरी विस्तार से चर्चा होती है। वे मेरी पत्रिका

ज्ञान तत्व को देखकर प्रभावित भी होते हैं। उन्हें मेरे भाषण तथा ज्ञान तत्व को पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि वास्तव में लोक स्वराज्य ही सभी समस्याओं का समाधान है। उन्होंने उसी कार्यक्रम से प्रभावित होकर मेरे साथ जुड़ने का निश्चय कर लिया। अभ्युदय जी बहुत ही अनुशासित थे और वे बिना दुर्गेश जी के अनुमति के नहीं आना चाहते थे। इसलिए मैंने उन्हें दुर्गेश जी से अनुमति दिलवाई। उस समय से लेकर वे अब तक लगातार रीवा में अपनी वकालत भी करते रहे और साथ–साथ अपना अतिरिक्त सारा समय ज्ञानयज्ञ के कार्यक्रम में देते रहें। कई महीने लगातार रामानुजगंज में रहकर आपने ग्राम सभा सशक्तिकरण के लिए गांव में यात्राएं की। आप दिल्ली में भी काफी समय तक रहे तथा ऋषिकेश में भी हर कार्यक्रम में मेरे साथ छाया की तरह रहते थे। अभ्युदय जी ने हमेशा ही मेरा सही मार्गदर्शन किया। यदि मैं कहीं गलती करता था तो अभ्युदय जी मुझे बता दिया करते थे। लेकिन फिर यदि मैं उस दिशा पर चलने का निश्चय किया तो अभ्युदय जी हमेशा साथ देते थे। हम लोगों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से अभ्युदय जी को ज्ञानयज्ञ परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी वहन करने के लिए तैयार किया। पिछले कुछ महीनों से आप आंशिक रूप से बीमार हैं फिर भी अभ्युदय जी को मेरी और ज्ञानयज्ञ परिवार की हमेशा चिंता रहती है। रीवा में रहते हुए आप की समय–समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं और स्वस्थ होते ही वे फिर से पूरी सक्रियता से इस इस कार्य को करेंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अभ्युदय जी की न्यायिक क्षेत्र में भी बहुत अधिक प्रतिष्ठा है और कई बड़े न्यायधिशों से भी अभ्युदय जी के माध्यम से मेरी बात हुई। इस तरह अभ्युदय जी हम लोगों के इस अभियान में एक वक्ता के समान जुड़े हुए हैं और भविष्य में भी जुड़े रहेंगे।

क्रमशः भाग तीन

नाटक भाग – 2

दृश्य–1

(परदा उठता है)

मंच पर चार कवि बैठे हैं। सभी शायराना अंदाज में बैठे हैं। माइक सामने है।

(मंच संचालक)

कवि ''कोयल''– आदरणीय श्रोताओं को कवि कोयल का प्रणाम। (बनावटी आंसू पोंछते हुए) दर असल पहले हमारा नाम काक मोहलवी था। कवि कोयल बनने के पीछे एक राज है। दरअसल हमने एक कोयल पाली थी जो काजल की तरह काली थी। उसकी आवाज चुनाव में खड़े नेता की तरह प्यारी थी। हम उसके और वह हमारी थी। उसने न भागने का आश्वासन दिया था। मगर उसने एक नेता की तरह हमारा दिल तोड़ दिया। किसी यार के चक्कर में हमारा घर ही छोड़ दिया। उसकी याद में उसके जाने के बाद हमने अपना ही नाम कोयल रख लिया है। खैर कहानी

लम्बी हो जायेगी। इसलिये मैं अपनी कहानी छोड़कर शायरे–शहर जनाब अफलातून झकमारी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वे अपना कलाम पेश करें।

शायर अफलातून– (नजाकत के अंदाज में)

जनाब पेश तो पिता जी करते थे।
हम तो कलाम पढ़ते हैं।
हक की बात छोड़कर–
हर बात पर लड़ते हैं
हम नेता की तरह–
चीखते हैं– चिल्लाते हैं–
पर देश को खोखला करने का राज––
किसी को नहीं बताते हैं।

कवि कोयल– (गंभीर मुद्रा में)

हुजुर! कोई गजल पढ़िये और आगे बढ़िये। श्रोता सुबह से भाषण
पी रहे हैं–
वो तो सेहत अच्छी है–
इसलिये जी रहे हैं–

अफलातुन –(नजाकत के साथ)–

बेशक....। रास्ता बताने के लिये शुक्रिया। लीजिये गजल सुनिये–

उल्लूओं का बाग में, हर ओर है पहरा यहाँ।
बुलबुलों का इसलिये मायूस है चेहरा यहाँ।
कोई भी सुनता नहीं है, वक्त की आवाज को,
हर जुबां खामोश है, हर आदमी बहरा यहाँ,
आज जख्मों की यहाँ, गहराईयाँ मत नापिये,
दर्द सीने में समन्दर से भी है गहरा यहाँ
लोग बैठे हैं अंधेरे को लपेटे देखिये,
क्या पता सूरज अभी तक है ठहरा कहाँ
खिड़कियों को सोच की अब खोलिये अपनी रसिक,
हर तरफ उठता धुआँ है हर तरफ कुहरा यहाँ

(सब को सलाम करके शायर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं)

कवि कोयल– अब मैं कवि चोंच साहब से निवेदन करूँगा कि वे अपनी रचना पेश करें।

कवि चोंचो– हाँ, तो जनाब! मैं किसी कहानी में चोंच न मारकर सीधे कुछ गंभीर रचना पेश करता हूँ। अगर आप ताली नहीं बजायेंगे तो मैं समझ लूँगा कि आप समझदार है–

(1) इस देश का चरित्र हमने ऐसा गढ़ा है,
रावण का कद देखिए हर साल बढ़ा है।।
जिस पर भी नजर डालिए लगता वही रसिक है,
बस राम के लिवास में रावण ही खड़ा है।।

(3) दिखता है नजारा यही यहाँ पे रोज है।
इस दौरे–सियासत में उल्लूओं की मौज है।
हर रोज बुलबुलों की मौत हो रही रसिक
कौवों की हिफाजत में लगी पूरी फौज है।

(कवि चोंच बैठ जाते हैं)

कवि कोयल– अब मैं कवि शायर कभी शबनम कभी फायर जनाब कातिल साहब को अपना कलाम पेश करने की दावत देता हूँ।

कातिल – जनाब मैं चन्द शेर पेश करने जा रहा हूँ।
पहले नौजवान आशिकों की खिदमत में–

शेर– आशिक है वो बेकार जो जाना नहीं गया।
जिसने न खाई मार औ थाना नहीं गया।
एक शेर शादी–शुदा लोगों के नाम–

शेर– सिंदूर जब से हमने भरी उनकी मांग में।
तब से खड़े हैं आज तलक एक टांग पे।

शेर– शादी के पहले खोये जो रहते थे याद में।
पागल दिखाई देते हैं शादी के बाद में।
आज के जनसेवकों के नाम एक शेर–
जो हँस मरे देश की किस्मत संवार कर।
दावत उड़ाते कौवे है उनकी मजार पर ।

शेर – फैली है सियासत की रसिक ऐसी गोटियां
सस्ता है खून मुल्क में महँगी हैं रोटियां।

मैं यहीं अपने कलाम को लगाम देता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि जनाब कोयल बोहलवी साहब अपनी रचना पेश करे–

कवि कोयल– मैं सीधे अपनी रचना पर आता हूँ–

शेर– शराफत सड़क पर पड़ी रो रही है।
शराफत की अम्मा कहां सो रही है।।
कर रहा जो अपहरण सीता का इस दौर में,
मंच पे बैठे वही चेहरा बदल कर राम है।

गीत

आज खतरे में अमन है, देश है, आवाम है,
अब शराफत को बचाना आप सबका काम है।। आज खतरे .....आवाम है।
लुट रही है आबरू, इज्जत सरे बाजार में,
न्याय कैदी है यहां, कानून अपना काम हैं।। आज खतरे .....काम है।
चोर गुण्डों की सियासत, का जहर फैला यहां,
ज्ञानदीपक जो जलाये, आज वो बदनाम है।। आज खतरे .....काम है।
कर रहा जो अपहरण, सीता का है इस दौर में,
मंच पर बैठा वही चेहरा बदल कर राम है।। आज खतरे .....काम है।
ज्ञान मण्डल ज्ञान का दीपक जलायें कह रहा,
हर तरफ छाया अन्धेरा रोशनी का काम है।। आज खतरे .....काम है।
तोड़ना होगा हमें मिलकर अंधेरे का किला,
हैं चुनौती यह बजरंग वक्त का पैगाम है।। आज खतरे .....काम है।